

24-8-21

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया। बहस सुनने व

पत्रावली पर उपलब्ध रिजर्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, फर मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 28.10.2020 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम अन्टाला स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा है। अतः सह खातेदारान, पडौसी खातेदारान व प्रार्थी को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

### आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम अन्टाला स्थित भूमि खसरा नंबर 73 की चर्तुसीमाओं की प्रार्थी, सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान 28.10.2020 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)